

राजस्थान पुलिस नियम, 2008

गृह विभाग'

अधिसूचना

जयपुर 23 मई, 2008

अधिसूचना सं. एफ. 12 (6) गृह-1/2007

जीएसआर 30- राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14) की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुलिस नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासन" से राज्य के पुलिस बल का प्रबन्धन और संगठन अभिप्रेत है;

(ग) "गश्ती कांस्टेबल" से किसी पुलिस थाने का ऐसा कोई पुलिस कांस्टेबल अभिप्रेत है जिसके लिए कोई विशिष्ट क्षेत्र उसके हल्के के रूप में नियत किया गया है और जो गश्ती कांस्टेबल के रूप में (अभिहित) परामर्शित किया गया है;

(घ) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 28 के अधीन गठित पुलिस स्थापन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "समुदाय सम्पर्क समूह" से अधिनियम की धारा 55 के अधीन गठित समुदाय सम्पर्क समूह अभिप्रेत है;

(च) "आयोग" से अधिनियम की धारा 21 के अधीन स्थापित राज्य पुलिस आयोग अभिप्रेत है;

(छ) "जिला पुलिस अधीक्षक" के अन्तर्गत महानगर क्षेत्र के संबंध में पुलिस आयुक्त आता है;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

3. पुलिस महानिदेशक की शक्तियां, कृत्य, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व.- (1) पुलिस बल का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण पुलिस महानिदेशक में निहित होगा।

(2) पुलिस महानिदेशक की सहायता राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक या अधिक अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों द्वारा की जायेगी।

(3) पुलिस महानिदेशक-

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नीतियों, कार्ययोजना और वार्षिक योजना को कार्यान्वित करेगा;

(ख) सम्पूर्ण राज्य में पुलिस बल के समग्र प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा;

1. राजस्थान राज-पत्र असाधारण भाग 4 (ग) दिनांक मई 26, 2008 में पृ.सं. 47 (1) से 47 (13) तक में प्रकाशित हुआ।

- (ग) राज्य के पुलिस बल के भागरूप समस्त ब्यूरो, संस्थाओं और यूनिटों के कृत्यकरण का पर्यवेक्षण करेगा;
- (घ) अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों, रजिस्ट्रों और प्ररूपों तथा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों को विनिर्दिष्ट करेगा;
- (ङ) अधीनस्थ के उपबंधों के अनुसार समस्त अधीनस्थ पंक्तियों की भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करेगा;
- (च) विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा; और
- (छ) राज्य के पुलिस बल की सामान्य दक्षता, प्रभावोत्पादकता, प्रत्युत्तर और जवाबदेही के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) पुलिस महानिदेशक, पुलिस बल के लिए आदेश जारी कर सकेगा;
- (क) विधि और व्यवस्था बनाये रखने;
- (ख) अपराध के निवारण और पता लगाने;
- (ग) पुलिस द्वारा आसूचना के संग्रहण और संचार को विनियमित करने;
- (घ) पुलिस संगठन के और समस्त पंक्तियों के पुलिस अधिकारियों द्वारा किये गये कार्य के विनियमन और निरीक्षण;
- (ङ) राज्य के पुलिस बल को दिये जाने वाले आयुध, साजसज्जाओं, वस्त्रों और अन्य साधनों के विवरण और परिमाण अधिकथित करने;
- (च) पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के निवास के स्थान निहित करने;
- (छ) समस्त पर्यवेक्षणीय और अधीनस्थ पंक्तियों के अधिकारियों के कर्तव्य नियत करने और वह रीति और शर्तें विहित करने जिनके अधीन वे अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे;
- (ज) राज्य के पुलिस बल के सदस्यों के विनियमन, तैनाती, संचलन और आस्थान;
- (झ) विभिन्न पंक्तियों के प्रशिक्षण;
- (ञ) पुलिस को अधिक दक्ष बनाने और शक्ति के दुरुपयोग और कर्तव्यों की उपेक्षा के निवारण; और
- (ट) अधिनियम की धारा 29 और 30 के अधीन पुलिस अधिकारियों को यथा-व्यादिष्ट कर्तव्यों, कृत्यों और उत्तरदायित्वों के दक्ष निर्वहन;

के लिए पुलिस बल के लिए आदेश जारी कर सकेगा।

4. आयोग की बैठकें.- (1) राज्य पुलिस आयोग की बैठक ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर होगी जो आयोग के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए और प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

(2) अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का सचिव बैठक की नियत तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व समस्त सदस्यों को बैठक की लिखित सूचना जारी करेगा:

परन्तु आयोग का अध्यक्ष आपात परिस्थितियों में अल्प सूचना पर आयोग की बैठक बुला सकेगा।

(3) पुलिस महानिदेशक आयोग को इसके कृत्यों के निर्वहन को सुकर बनाने के लिए अवश्य सचिवीय सहयोग देगा।

(4) आयोग की बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष और कम से कम एक स्वतंत्र सदस्य सहित पांच सदस्यों से होगी।

(5) आयोग का सचिव आयोग की कार्यवाहियों का लिखित अभिलेख रखेगा।

(6) आयोग अधिनियम की धारा 26 के अधीन प्रगणित इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित सूचना मंगाने के लिए सक्षम होगा।

(7) आयोग या आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई भी सदस्य, राज्य के पुलिस बल के भाग किसी भी कार्यालय या यूनिट का निरीक्षण कर सकेगा।

5. स्वतंत्र सदस्यों के विशेषाधिकार और सुविधाएं.- (1) आयोग के स्वतंत्र सदस्य मानदेय और वाहन भत्ते के लिए ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, हकदार होंगे और अपने मुख्यालय से बाहर दोनों के लिए राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के उपबन्ध के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार भी होंगे।

6. पुलिस स्थापन बोर्ड का कृत्यकरण.- (1) पुलिस स्थापना बोर्ड के बैठकें ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर होंगी जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए जाएं और प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

(2) पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) बोर्ड को विनिश्चय करने के लिए अपेक्षित समस्त आवश्यक सूचना देगा।

(3) पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) बैठक के नियत दिन से कम से कम तीन दिन पूर्व सूचना जारी करेगा:

परन्तु बोर्ड का अध्यक्ष आपात परिस्थितियों में अल्प सूचना पर बोर्ड की बैठक बुला सकेगा।

(4) बोर्ड की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित चार सदस्यों से होगी। ✓

(5) पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) बैठकों की कार्यवाहियों का लिखित अभिलेख रखेगा और बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से उसको जारी करेगा।

(6) पुलिस महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी बोर्ड के विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए आदेश जारी करेगा। ✓

7. अदावाकृत सम्पत्ति. - (1) उसके द्वारा पायी गयी या उसको सौंपी गयी अदावाकृत सम्पत्ति का प्रभार लेने वाला पुलिस अधिकारी एक तालिका तैयार करेगा जिसमें प्रभार में लेने के समय और स्थान और सम्पत्ति की मात्रा और पहिचान के बारे में विशिष्टां अन्तर्विष्ट होंगी और तालिका पर सम्पत्ति का प्रभार लेना साक्ष्य करने वाले दो व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(2) अदावाकृत सम्पत्ति का प्रभार लेने वाला पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सम्पत्ति का उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी तालिका के साथ यथासाध्य शीघ्रता से परिदान करेगा या परिदान करवायेगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन अदावाकृत सम्पत्ति प्राप्त करने वाला पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी साधारण डायरी में प्रविष्टि करेगा या करवायेगा जिस पर ऐसी सम्पत्ति का परिदान करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(4) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी अदावाकृत सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

8. अदावाकृत सम्पत्ति का व्ययन.- (1) अदावाकृत सम्पत्ति प्राप्त करने वाला पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो पुलिस महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति, उप पुलिस आयुक्त को 15 दिन के भीतर-भीतर भेजेगा।

(2) यदि अदावाकृत सम्पत्ति या उसका कोई भी भाग शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या उसमें पशुधन है तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी एक रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति, उप पुलिस

आयुक्त को अविलम्ब भेजेगा और उसको जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति उप पुलिस आयुक्त के आदेशों के अधीन नीलामी द्वारा तत्काल बेचा जायेगा और उसके विक्रयागम सरकारी खाते में जमा किये जायेंगे।

(3) जहाँ उप नियम (1) या (2) के अधीन प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई रिपोर्ट भेजी जाती है वहाँ जिला पुलिस अधीक्षक या यथा स्थिति उप पुलिस आयुक्त एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति का ब्यौरा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और यह अपेक्षा की जायेगी कि कोई भी व्यक्ति जो उस सम्पत्ति के प्रति दावा रखता है, उसके या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष ऐसी घोषणा की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर उपसंज्ञात होगा और अपना दावा सिद्ध करेगा।

स्पष्टीकरण :- उद्घोषणा से ऐसी उद्घोषणा जारी करने वाले पुलिस अधिकारी अधिकारिता में के समस्त पुलिस थानों पर प्रमुख स्थान पर और पुलिस विभाग की वेबसाइट पर और यदि ऐसी किसी भी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक है तो एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा, अदावाकृत सम्पत्ति के विवरण और ब्यौरे सहित, एक आम सूचना जारी करना अभिप्रेत है।

(4) उपनियम (3) के अधीन उद्घोषणा जारी करने से पूर्व किसी भी तारीख पर, जिला पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त या यथास्थिति उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी दावेदार को, ऐसे दावेदार के ऐसी सम्पत्ति का कब्जा रखने या प्रशासन करने के स्वत्व का समाधान करने पर सम्पत्ति के परिदान का आदेश कर सकेगा।

(5) जिला पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त या यथास्थिति, उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, उप नियम (4) के अधीन कोई भी आदेश करने से पूर्व, स्वविवेकानुसार उस व्यक्ति से, जिसको उक्त सम्पत्ति का परिदान किया जाना है, ऐसी प्रतिभूति, जो वह उचित समझे, ले सकेगा और इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट कोई बात उस व्यक्ति से, जिसको ऐसे आदेश के अनुसरण में यह परिस्थित की गयी हो सम्पूर्ण या उसके किसी भी भाग को वसूल करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

(6) जहाँ किसी भी ऐसी व्यक्ति से, जिसका सम्पत्ति के लिए दावा है, उप-नियम (3) के अधीन उद्घोषणा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति उप पुलिस आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष इस निमित्त उपसंज्ञात होने और अपने दावे को सिद्ध करने की अपेक्षा की जाती है वहाँ ऐसा अधिकारी अपने समक्ष की कार्यवाही का अभिलेख, उस पर अपने निष्कर्षों सहित, जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति उप पुलिस आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

(7) जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति, उप पुलिस आयुक्त, उप-नियम (3) के अधीन जारी उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के कब्जे या प्रशासन के किसी भी दावेदार के स्वत्व का समाधान करने व उसको सम्पत्ति सौंपने या यथास्थिति यदि सम्पत्ति को उपनियम (2) के अधीन बेच दिया गया है तो, विक्रयागमों का संदाय करने के लिए आदेश कर सकेगा।

(8) जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति उप पुलिस आयुक्त, उप नियम (7) के अधीन कोई भी आदेश करने से पूर्व, स्वविवेकानुसार, उस व्यक्ति से जिसको उक्त सम्पत्ति का परिदान या विक्रयागमों का संदाय किया जाना है, ऐसी प्रतिभूति, जो वह उचित समझे, ले सकेगा और इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट कोई बात उस व्यक्ति से जिसको ऐसे आदेश के अनुसरण में यह परिदत्त या संदत्त की गयी हो, सम्पूर्ण या उसके किसी भी भाग को वसूल करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

(9) यदि उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर-भीतर कोई भी व्यक्ति अपना दावा सिद्ध नहीं करता तो सम्पत्ति या उप-नियम (2) के अधीन निक्षिप्त विक्रयागम राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेंगे और ऐसी सम्पत्ति यदि उप-नियम (2) की अधीन बेची नहीं गयी है, जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति, उप पुलिस आयुक्त आदेशों के अधीन नीलामी द्वारा बेची जा सकेगी। उसके विक्रयागम सरकारी खाते में जमा किये जायेंगे।

(10) यदि अदावाकृत सम्पत्ति के किन्हीं भी विक्रयागमों के लिए सरकार से कोई भी दावा किया है और यदि ऐसा दावा रैज के पुलिस महानिरीक्षक या यथास्थिति, पुलिस आयुक्त के समाधानप्रद रूप से

पूर्णतः या अंशतः सिद्ध हो जाता है तो सरकार रैंज के पुलिस महानिरीक्षक या यथास्थिति, पुलिस आयुक्त द्वारा अवधारित रकम का दावेदार को संदाय करेगी।

9. साधारण डायरी.- (1) समस्त पुलिस थाने, जिला पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस थाने को जारी उपयुक्त पृष्ठों वाली पुस्तिका में एक साधारण डायरी रखेंगे। ऐसी पुस्तकों में समस्त पृष्ठों को ऐसी रीति से संख्यांकित किया जायेगा जिससे कार्बन प्रति प्रक्रिया द्वारा दो प्रतियों में साधारण डायरी रखने की व्यवस्था हो सके:

परन्तु साधारण डायरी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जा सकेगी।

(2) साधारण डायरी में समस्त प्रविष्टियां पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की जायेंगी। साधारण डायरी में कोई भी प्रविष्टि करने वाले अधिकारी, ज्यों ही डायरी में प्रविष्टियां की जाएं, अपने हस्ताक्षर करेगा और इसके ठीक नीचे पृष्ठ के आरपार एक रेखा खींचेगा।

(3) पुलिस महानिदेशक ऐसे घण्टे जब डायरी दैनिक बन्द की जायेगी, नियत करेगा और ऐसी सूचना और ऐसा प्ररूप जिसमें ऐसी सूचना प्रत्येक दिन के प्रारंभ पर साधारण डायरी में प्रविष्टि की जानी है, भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) साधारण डायरी, ऐसी समस्त घटनाओं, जो पुलिस थाने में होती है, का पूर्ण अभिलेख होना आशयित है जिसमें समस्त पुलिस अधिकारियों के पंचलन और क्रिया कलापों, बाह्य व्यक्तियों चाहे सरकारी या गैर सरकारी हों के निरीक्षण को लेखबद्ध करना चाहिए।

(5) पुलिस अधिकारियों की जानकारी में की प्रत्येक घटना साधारण डायरी में प्रविष्टि की जायेगी। संज्ञेय अपराध की घटना के संबंध में प्राप्त कोई भी सूचना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन की गयी कार्रवाई के व्यौरों सहित, साधारण डायरी में संक्षेप में लेखबद्ध की जायेगी।

(6) असंज्ञेय अपराध, लापता व्यक्तियों या सम्पत्ति के संबंध में मौखिक रूप से प्राप्त परिवादों की सूचना साधारण डायरी में लेखबद्ध की जायेगी। यदि ऐसी सूचना लिखित प्राप्त हो तो साधारण डायरी में इसके प्रति निर्देश किया जायेगा।

(7) साधारण डायरी में की गयी प्रत्येक प्रविष्टि को एक पार्श्व शीर्षक दिया जायेगा और मासिक शृंखला में संख्यांकित किया जायेगा।

(8) पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी साधारण डायरी से सही और समय पर प्रविष्टियां लेखबद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) साधारण डायरी प्रत्येक दिन बन्द की जायेगी और इसकी एक प्रति वृत्त के भारसाधक पुलिस अधिकारी को यथाशक्य शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

(10) साधारण डायरी चौकी द्वारा भो रखी जायेगी और चौकी के भारसाधक अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी। इसमें पुलिस कार्मिकों का संचलन और उनके द्वारा प्राप्त कोई भी सूचना लेखबद्ध की जायेगी।

(11) चौकी की साधारण डायरी की एक प्रति संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रति दिन प्रस्तुत की जायेगी। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि उसका परिशीलन करे और आवश्यक कार्रवाई करे।

(12) पुलिस महानिदेशक साधारण डायरी में अन्य सूचना लेखबद्ध करने के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगा।

10. पुलिस सेवा के लिए संदाय.- पुलिस सेवा के लिए संदाय के निमित्त अधिनियम की धारा 46 के उपबंध के अनुसार निम्नलिखित उपयोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत किये जायेंगे:-

(i) कांस्टेबल-	- 536 रुपए प्रतिदिन
(ii) हैड कांस्टेबल	- 644 रुपए प्रति दिन
(iii) एस.आई./ए.एस.आई./पी.सी.	- 875 रुपए प्रतिदिन
(iv) निरीक्षक	- 1010 रुपए प्रतिदिन

11. विशेष पुलिस अधिकारी.- (1) निम्नलिखित परिस्थितियों में विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे, अर्थात्-

(क) जब यह प्रतीत होता है कि कोई भी विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति में विघ्न हो गया है, या व्यक्तिगत रूप से होने की आशंका की जा सकती है, और कि शांति बनाये रखने के लिए सामान्यतया नियोजित पुलिस बल इसको बनाये रखने और उस स्थान में, जहाँ ऐसी विधिविरुद्ध जमाव या बलवा या शांति में विघ्न हुआ है या होने की आशंका है, निवासियों के संरक्षण और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) जहाँ यह प्रतीत होता है कि लोक सभा या राज्य विधान सभा या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी के लिए या यातायात प्रबंधन के लिए सामान्यतया नियोजित पुलिस बल पर्याप्त नहीं है।

(2) केवल स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि-

- (क) उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो,
- (ख) उसके विरुद्ध दण्डिक अपराध का कोई मामला दर्ज है और लंबित है,
- (ग) वह किसी राजनीतिक दल या उसके सहबद्ध दल का सदस्य है, या
- (घ) वह विकृत चित्त है।

(3) ऐसी नियुक्ति की अवधि एक बार में 30 दिन से अधिक की नहीं होगी।

(4) विशेष पुलिस अधिकारी अवैतनिक हैसियत में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

12. समुदाय संपर्क समूह के सदस्यों की सूचीबद्धता.- (1) समुदाय संपर्क समूह ग्राम पंचायत स्तर और पुलिस थाना स्तर पर गठित किया जायेगा। पंचायत स्तर के समुदाय संपर्क समूह में 5 सदस्य और पुलिस थाना स्तर के समुदाय संपर्क समूह में 30 सदस्य होंगे।

(2) समुदाय संपर्क समूह के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के अन्त में निवृत्त होंगे।

(3) समुदाय संपर्क समूह में समस्त वर्गों और समस्त श्रेणियों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रत्येक समुदाय संपर्क समूह में महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों प्रत्येक में से कम से कम दो प्रतिनिधि होंगे।

(4) समुदाय संपर्क समूह में केवल पंचायत या यथास्थिति, पुलिस थाने की अधिकारिता के स्थानीय निवासियों को सदस्य के रूप में लिया जायेगा। वह सम्माननीय नागरिक होना चाहिए और उसका नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए।

(5) किसी व्यक्ति को समुदाय संपर्क समूह का सदस्य नहीं बनाया जायेगा, यदि,-

- (क) उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो,
- (ख) उसके विरुद्ध दण्डिक अपराध का कोई मामला दर्ज है और या तो अन्वेषण के अधीन या विचारण के अधीन लंबित है;
- (ग) वह किसी राजनीतिक दल या उसके सहबद्ध दल का सदस्य है;
- (घ) उसके किसी भी आपराधिक क्रियाकलाप में अन्तर्वलित होने का संदेह है या उस अपराधियों के साथ सहयोजन है;
- (ङ) वह सम्पत्ति और भूमि विवादों और अन्य वादकरण में अन्तर्वलित है।

(6) समुदाय संपर्क समूह के सदस्यों को संबंधित पुलिस थाने और पुलिस वृत्त के भारसाधक अधिकारी की सिफारिशों पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

13. समुदाय संपर्क समूह का कृत्यकरण.- (1) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना स्तर के समुदाय संपर्क समूह के सचिव के रूप में और गश्ती कांस्टेबल पंचायत स्तर के समुदाय संपर्क समूह के सचिव के रूप में कार्य करेगा। सदस्यों में से एक संयोजक और एक सह-संयोजक के नाम-निर्देशित किया जायेगा। वे एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

(2) पुलिस थाना स्तर के समुदाय संपर्क समूह की बैठक 2 मास में कम से कम एक बार और पंचायत स्तर के समुदाय संपर्क समूह की बैठक एक मास में एक बार होगी। समुदाय संपर्क समूहों की बैठकों की कार्यवाहियां उस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में लेखबद्ध की जायेंगी।

(3) यदि कोई भी सदस्य राजनीतिक क्रियाकलापों में अन्तर्वलित हुआ पाया जाता या समुदाय संपर्क समूह की बैठकों में भाग नहीं लेता है या उसने नियम 12 के उप नियम (5) में यथा उल्लिखित कोई भी निर्हता उपगत करती है तो उसे समुदाय संपर्क समूह से हटा दिया जायेगा।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक किसी भी सदस्य को समुदाय संपर्क समूह से किसी भी समय हटा सकेगा यदि वह लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी कारण से उसको अयोग्य समझता है।

14. समुदाय संपर्क समूह के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- समुदाय संपर्क समूह और इसके सदस्य-

- (क) पुलिस समुदाय संबंध-सुधारने में पुलिस की सहायता करेंगे;
- (ख) लोगों द्वारा सामना की गयी पुलिस से संबंधित समस्याओं को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लायेंगे और समाधान खोजने में सहायता करेंगे;
- (ग) अपराधियों को पकड़ने में और अपराध निवारण उपायों में पुलिस की सहायता करेंगे;
- (घ) जन चेतना कार्यक्रम आयोजित करेंगे;
- (ङ) अपराध संबंधी आन्वचना के संग्रहण में पुलिस को सहायता देंगे;
- (च) किसी भी ऐसी उद्घटना, जिससे लोक शांति प्रभावित होने की संभावना हो, गश्ती कांस्टेबल या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के ध्यान में लायेंगे;
- (छ) अपने क्षेत्र के भीतर किसी भी पुलिस अधिकारी के कदाचार से उसके चरित्रों को अवगत करायेंगे;
- (ज) साम्प्रदायिक सौहार्द और विधि और व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की सहायता करेंगे;
- (झ) साम्प्रदायिक तनाव धार्मिक उत्सवों, जुलूसों, रैलियों, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और किसी भी अन्य स्थिति में जब भी ऐसा करने की अपेक्षा की जाये, पुलिस को सहायता देंगे;
- (ञ) संचार और सूचना को, जब भी ऐसा करने की अपेक्षा की जाये, गुप्त रखेंगे; और
- (ट) मामलों के अन्वेषण में और सामान्य पुलिस कृत्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

श्रीराम चौरड़िया,

शासन उप सचिव

□□□